राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014–15/ दिनांक :

संयुक्त निदेशक
कृषि (विस्तार), खण्ड जयपुर/
कोटा/भरतपुर।

विषय : निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु केम्प आयोजन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 21.01.2021 एवं इससे पूर्व की ऑडिट कमेटी बैठकों में श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, महोदय द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालना लम्बी अवधि से बकाया होने तथा प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने को गम्भीरता से लिया है, साथ ही बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प आयोजन कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। इस संबंध में माह अप्रैल, 2021 में निदेशक, निरीक्षण विभाग के साथ कैम्प का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना तथा जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है, की अनुपालनाऐं अपनी टिप्पणी सहित मय प्रमाणित साक्ष्यों/दस्तावेजों के पन्द्रह दिवस में अनिवार्य रूप से दो प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु तैयार रखे, ताकि कैम्प आयोजन की कार्यवाही निदेशक, निरीक्षण विभाग से कराई जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

ह0
(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(iv)/आ.कृ./लेखा/भौ.स.प्र./2014–15/ 9277–320 दिनांक : 17/03/21

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, मुख्यालय जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कृषि (वि0)/कृषि अनुसंधान अधिकारी ....को प्रेषित कर लेख हैं कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना एवं बकाया आक्षेपों की अनुपालनाऐ अविलम्ब संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि